न्यायालय जिला कलेक्टर, सवाई माधोपुर

प्रा.पत्र मुत.(मुन्तकली) संख्या– 42/22 सन् 2022

आरसीएमएस संख्या 2022/253

बउनवानी :–शिवरतन पुत्र श्री सुरेश चन्द गुप्ता जाति महाजन निवासी जयपुर रोड़ गंगापुर सिटी

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार गंगापुर सिटी

(मुन्तकली प्रार्थना पत्र विरूद्ध तहसीलदार गंगापुर सिटी मे जैरकार पत्रावली संख्या 26/2022 उनवानी सरकार बनाम शिवरतन अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955)

उपस्थितः 1. श्री जगदीश प्रसाद शर्मा — वकील प्रार्थी

2. श्री तोफिक मोहम्मद (वकील) — पैरोकार राजस्व

–: निर्णय :– दिनांक 17.01.2023

वकील प्रार्थी ने न्यायालय तहसीलदार गंगापुर सिटी में विचाराधीन पत्रावली संख्या 26/2022 उनवानी सरकार जरिये तहसीलदार गंगापुर सिटी बनाम शिवरतन अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त प्रकरण को दीगर न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने बाबत इस्तदुआ की है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अदालत मातहत से प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों के सम्बन्ध में टिप्पणी तलबी की गयी साथ ही सम्बन्धित विपक्षीगणों की सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस की गयी।

तत्पश्चात् बहस वकील उभय पक्ष सुनी गयी।

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना में उल्लेखित तथ्यों की और ध्यान आकर्षित कर कथन किया है कि विपक्षी के न्यायालय में पटवारी हल्का गंगापुर सिटी द्वारा प्रार्थी के विरूद्ध राजनैतिक रंजिश वश प्रस्तुत की गयी धारा 91 एलआरएक्ट की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी के विरूद्ध धारा 91 की कार्यवाही प्रस्तावित की गयी है जिसमे विपक्षी ने दिनांक 15.11.2022 को उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किया गया था जिसका जवाब प्रार्थी द्वारा दिनांक 15.11.2022 को न्यायालय मे उपस्थित होकर पेश कर दिया है। दिनांक 15.11.2022 को तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा कहॉ कि प्रार्थी को विवादित भूमि से बेदखल करना है क्योंकि उपर से दबाव है विपक्षी के उपर राजनैतिक पार्टी का दबाव होने के कारण प्रार्थी के विरूद्ध धारा 91 के तहत कार्यवाही करने के लिए प्रयत्नशील है इसलिए प्रार्थी को विपक्षी न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने की सम्भावना नही है। क्योकि विपक्षी द्वारा सिविल न्यायालय के स्थगन आदेश को मानने से भी इन्कार कर दिया है। इसलिए प्रार्थी की ओर से न्यायालय हाजा में मुन्तकिली प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना लाजमी हो गया है। उक्त प्रकरण मे पीठासीन अधिकारी महोदय से न्याय मिलने की बिल्कुल उम्मीद शेष नही होने के कारण प्रार्थी का मुन्तकिली प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर तहसीलदार गंगापुर सिटी के न्यायालय से जैरकार उक्त प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय मे मुन्तकिल किये जाने बाबत वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.12.19 11:30:09 IST
Reason: SelfAttested

..........(1)..........

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

विद्वान वकील पैरोकार राजस्व द्वारा दौराने बहस कथन किया कि प्रार्थी द्वारा बेबुनियाद तथ्यों के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है क्योकि प्रार्थी द्वारा तहसील गंगापुर सिटी के ग्राम मिर्जापुर के ख0न0 138 किस्म गै0मु0 चरागाह रकबा 1000 वर्ग फीट भूमि पर सम्वत् 2079 मे अनाधिकृत रूप पक्की दुकान बनाकर अतिचार किया जाने पर पटवारी हल्का मिर्जापुर द्वारा भूराजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत कार्यवाही हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत की जाने पर तहसीलदार द्वारा विधिवत रूप से प्रार्थी को विवादित भूमि पर से दिनांक 15.11.2022 तक अपना अतिक्रमण हटाकर विवादित भूमि को खाली करने का नोटिस दिया गया है। इस प्रकार प्रार्थी धारा 91 की कार्यवाही से बचने एवं उक्त कार्यवाही मे अनावश्यक देरी करने की गरज से निराधार एवं झूठें तथ्यों के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो खारिज किये जाने बाबत वकील अप्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया।

तहसीलदार गंगापुर सिटी की ओर प्राप्त टिप्पणी में पीठासीन अधिकारी द्वारा अंकित किया गया कि प्रार्थी द्वारा तहसील गंगापुर सिटी के ग्राम मिर्जापुर के ख0न0138 किस्म गै0मु0 चरागाह रकबा 1000 वर्ग फीट भूमि पर सम्वत् 2079 मे अनाधिकृत रूप पक्की दुकान बनाकर अतिचार किया जाने पर पटवारी हल्का मिर्जापुर द्वारा भूराजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत कार्यवाही हेतु दिनांक 1.11.2022 को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाने पर अप्रार्थी को धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया अप्रार्थी द्वारा दिनांक 15.11.2022 को जवाब पेश किये जाने पर समय चाहे जाने पर दिनांक 22.11.2022 तक जवाब पेश करने को समय दिया गया । अप्रार्थी द्वारा दिनांक 22.11.2022 को जवाब पेश किया जिसकी जॉच पटवारी हल्का से करवायी जाने हेतु दिनांक 29.11.2022 नियत की गयी। दिनांक 29.11.2022 को पटवारी द्वारा रिपोर्ट पेश नही की जाने पर पुनः स्मरण पत्र जारी किया गया। पटवारी द्वारा दिनांक 15.12.2022 को रिपोर्ट पेश की गयी प्रकरण मे 23.12.2022 नियत की गयी। पीठासीन अधिकारी द्वारा मुन्तकिली प्रार्थना पत्र से संबंधित प्रकरण मे नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है किन्तु फिर भी उक्त प्रकरण को दीगर न्यायालय मे मुन्तकिल कर दिया जाता है तो अधीनस्थ न्यायालय को कोई आपत्ति नही है।

वकील उभयपक्षों की और से प्रस्तुत तर्कों को सुनने के पश्चात् सम्बन्धित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुॅचता हूॅ, कि प्रार्थी द्वारा न्यायालय तहसीलदार गंगापुर सिटी के पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये आरापो की पुष्टि वकील प्रार्थी द्वारा किये गये कथन एवं प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर नही होती है। प्रार्थी द्वारा उक्त मुन्तकिली प्रार्थना पत्र महज प्रकरण के निस्तारण में दैरी करने की दृष्टि से निराधार तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र से संबंधित प्रकरण की विधिवत सुनवायी की जा रही है इसलिए उक्त प्रकरण को दीगर न्यायालय मे मुन्तकिल किये जाने आवश्यकता प्रतीत नही होती है।

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत मुन्तकिली प्रार्थना खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से खत्म हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 17.1.2023 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.12.19 11:30:09 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर